

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 24 / 2023

सायल
सरकार जरिये जिला पुलिस
अधीक्षक, नागौर

बनाम

गैर सायल
मोहम्मद रफीक पुत्र मोहम्मद हनीफ जाति बांगी
(मुसलमान) निवासी अक्सानगर कुम्हारी पुलिस
थाना सदर नागौर जिला नागौर

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975


निर्णय

दिनांक 15.12.2023

1-जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर ने सहायक लोक अभियोजक नागौर के माध्यम से गैर सायल मोहम्मद रफीक पुत्र मोहम्मद हनीफ जाति बांगी (मुसलमान) निवासी अक्सानगर कुम्हारी पुलिस थाना सदर नागौर जिला नागौर के विरुद्ध यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत पेश कर अवगत करवाया है कि वाकियात इस्तगासा हाजा इस प्रकार है कि मोहम्मद रफीक पुत्र मोहम्मद हनीफ जाति बांगी (मुसलमान) निवासी अक्सानगर कुम्हारी पुलिस थाना सदर नागौर जिला नागौर क्षेत्र का आले दर्जे का जुआरी है। जिसकी आम शोहरत खराब है। गैर सायल जुआ सट्टा के विभिन्न प्रकरणों में दण्डित हो रखा है। गैर सायल जुआ सट्टा की गतिविधियों में निरंतर सक्रिय है। जिसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किये जाकर कानूनी कार्यवाही की गई है। लेकिन अपराधी की गतिविधियों में कोई कमी नहीं आयी है। गैर सायल का इलाका हाजा में स्वच्छंद विचरण करना व निवासरत रहना कतेई उचित नहीं है। इसका इलाका हाजा से निष्कासन किया जाना ही एकमात्र विकल्प है। गैर सायल का कृत्य धारा 2(ख) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अंतर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः उक्त अपराधी को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही कर जिला नागौर से निष्कासित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

2-सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 17.11.23 को अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। प्रकरण में सायल द्वारा अपने इस्तगासे के समर्थन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.07.14 फोटोप्रति, अन्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 15.07.14 फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09.02.20 फोटोप्रति, अन्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21.02.20 फोटोप्रति, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के प्रकरण संख्या 1004/2020 की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 05.09.2020 फोटोप्रति, अन्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.09.20 फोटोप्रति, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के प्रकरण संख्या 282/2020 की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 20.12.20 फोटोप्रति, अन्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21.12.20 फोटोप्रति पेश की गई।

3-उभयपक्ष की बहस सुनी गई। सहायक लोक अभियोजक द्वारा इस्तगासा के तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि मोहम्मद रफीक पुत्र मोहम्मद हनीफ जाति बांगी (मुसलमान) निवासी अक्सानगर कुम्हारी पुलिस थाना सदर नागौर जिला नागौर का निवासी है, जो जुआ सट्टा की खाईवाली करते बार-बार दस्तायाब किया जाकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं, गैर सायल जुआ सट्टे करने का अभ्यस्त है तथा वर्ष 2014 से 2020 तक जुआ सट्टा की गतिविधियों में निरंतर सक्रिय रहता


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

आदेश

मोहम्मद रफीक पुत्र मोहम्मद हनीफ उम्र 44 वर्ष जाति बांगी (मुसलमान) निवासी अक्सानगर कुम्हारी पुलिस थाना सदर नागौर जिला नागौर का कृत्य धारा 2(ख) राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः उक्त अपराधी को धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही कर जिला नागौर से दो माह तक निष्कासन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं जिला बीकानेर के नोखा थाने में अपनी गतिविधियों को दर्ज करवाएं तथा सूचना इस न्यायालय को देवें। आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक नागौर/बीकानेर को भिजवाई जावे।

6-निर्णय आज दिनांक 15.12.23 को सरे इजलास सुनाया गया।



(राकेश कुमार गुप्ता)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)